HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 18187/2026
CNR: RJHC021095402026 | URN: CRLMB / 33371U / 2026

Javaid Khan Son Of Shri Aasudeen, Aged About 22 Years, Resident Of Mewat Academy Se Aage Kolganv Road Ghansoli, Police Station Kishangarhbas, Distt Khairthal - Tijara Rajasthan (At Present Confined At Sub Jail Kishangarh Bas Distt Khairthal Tijar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Hanish Khan
For Respondent(s) : Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/11/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **373/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस जमानत प्रार्थना–पत्र के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर दो मोबाइल फोन के सम्बन्ध में साइबर पोर्टल पर चार शिकायतें दर्ज हैं जो कुल 53 हजार रूपये से सम्बन्धित हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.08.2026

से अभिरक्षा में है। आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आर्मी का जवान बनकर मोटरसाइकिल सस्ते दामों में बेचकर साइबर ठगी करने का आक्षेप है। उसके विरूद्ध साइबर पोर्टल पर चार शिकायतें दर्ज हैं। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का आरोप है। कुल 53 हजार रूपये की साइबर ठगी का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.08.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **जावेद खान पुत्र आसुदीन** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र **इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा,** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह पश्चात्

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/42/AJAY KUMAR SINGHAL